प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 27.02.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 34/26 धारा 352/109(1)/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.02.26 को थाना बिनौली पर वादी वीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अंकुर पुत्र हातम 2. निखिल उर्फ अंकुर पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र अंकित के ऊपर तमंचे से गोली चला दी, जिससे वादी के पुत्र अंकित के दाहिने जांघ में गोली लग गयी तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 352/109(1)/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 34/26 धारा 352/109(1)/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तों की निशांदेही पर घटना में 02 अवैध तमंचे मय 01 खोखा कारतूस के बरामद हुए हैं।

नोट-उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बरामदगी से धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 की वृद्धि की गयी हैं।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अंकुर पुत्र हातम निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत।

2.निखिल उर्फ अंकुर पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **02 अवैध तमंचे .315 बोर।**
- **01 खोखा कारतूस .315 बोर ।**

अभिरक्षा रिमांड पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री संजय सिंह पुनिया थाना बिनौली जनपद बागपत।

3- है0का0 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत।

5. है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 27.02.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 50/26 धारा 85/115(2)/80(2)/351(3) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 25.02.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री रवि प्रकाश पुत्र श्री जयभगवान निवासी विकास नगर थाना अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पति नवीन पुत्र नामालूम, 2.सास, 3.देवर साहिल पुत्र नामालूम, 4. देवर शिवम पुत्र नामालूम, 5. फूफा देशराज पुत्र नामालूम, 6.बुआ निवासीगण ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत व अन्य अज्ञात परिवारीजन द्वारा दहेज में धनराशि, गाडी व अन्य सामान की मांग कर उसकी बेटी चंचल के साथ मारपीट की गयी व दहेज के लिये प्रताडित किया एवं जान से मारने की धमकी दी तथा चंचल की हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 50/26 धारा 85/115(2)/80(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 50/26 धारा 85/115(2)/80(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र महेश निवासी सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2. है0का0 428 कपिल रावत थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3. है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकड़ा साइबर सेल, जनपद बागपत द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक युवक के खाते से गलतीवश अज्ञात व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुई ₹20,000/- की धनराशि को वापस कराया गया।

1-पीड़ित रोहित पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा 20,000/- रुपये राशि गलती से किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में चली गई थी । जिस सम्बन्ध में आवेदक मे NCRP पोर्टल पर आंनलाइन शिकायत दर्ज कराई,जिसका ACKNOWLEDGEMENT नं0 33111250155890 है । शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से कटी सम्पूर्ण धनराशि 20,000/- रुपये वापस कराया गया ।

- रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	33111250155890	20,000/-

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 27.02.26**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 51/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ कॉपर का केबिल तार वजन 6.4 किलोग्राम व चोरी का सामान बेचकर प्राप्त रुपयों में से 2800 रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26.02.26 को थाना बिनौली पर आवेदक रविन्द्र पुत्र चौहल सिंह निवासी ग्राम गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व गाँव के ही ब्रजपाल पुत्र दलसिंह व रामपाल पुत्र बीरबल की ट्यूवबेलों से केबिल/तार व कटाउट चोरी कर लिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0-51/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 51/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ कॉपर का केबिल तार वजन 6.4 किलोग्राम व चोरी का सामान बेचकर प्राप्त रुपयों में से 2800 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

उक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.गुलाब पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.जैद पुत्र नौशाद निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।
3.आशीष पुत्र श्रवण कुमार निवासी कस्बा व थान बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी के विवरण-

- अभियुक्त गुलाब से (1000 रूपये नगद)
- अभियुक्त जैद से (1800 रूपये नगद)
- अभियुक्त आशीष (6.4 किलोग्राम कॉपर केबिल का तार)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-है0का0 648 चौबसिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
3- हो0गा0 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।